UPPG010065562022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई०सी० एक्ट) प्रतापगढ़
पीठासीन अधिकारी– (मोनिका ठाकुर), **(उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP6185**

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–३१९५/२०२२

राकेश कुमार सुत अमर बहादुर लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम उमरी, थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र० .....अभियोगी

अपराध संख्या–२६८/२०१६
धारा–१३८ बी विद्युत अधिनियम
थाना–अन्तू, **जिला–**प्रतापगढ।

अभियुक्त **राकेश कुमार श्रीवास्तव** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या–२६८/२०१६, धारा–१३८बी विद्युत अधिनियम, थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ के अन्तर्गत जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि दिनांक ०३.०८.२०१६ को अवर अभियन्ता एवं अन्य सहयोगी के साथ अपने क्षेत्र में सघन काबिंग अभियान के अन्तर्गत उपभोक्ता का नाम व पता राकेश कुमार सुत अमर बहादुर लाल श्रीवास्तव निवासी ग्राम उमरी, थाना अन्तू, जिला प्रतापगढ़ उपभोगक्ता की लाइन विद्युत बिल बकाया होने पर काट दी गयी थी उपभोक्ता द्वारा बगैर विद्युत बिल जमा किये बिना केबल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत चोरी से उपभोग करते हुए पाया गया जो की धारा–१३८बी भारतीय विद्युत अधिनियम के तहत चोरी के अन्तर्गत आता है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि वह निर्दोष है उसे फर्जी फंसाया गया है प्रार्थी/अभियुक्त किसी भी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया है। उपरोक्त वाद में प्रार्थी को दुश्मनों की साजिश से झूठा फंसाया गयी है। प्रार्थी कभी भी विद्युत की चोरी नहीं की है उसे फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी का विद्युत विभाग द्वारा निरीक्षण के समय दिखाया गया विद्युत बकाया समस्त धनराशि जमा की जा चुकी है जिसकी रसीद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके सिवा कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खण्डित हुआ है। आवेदक/अभियुक्त के पास पर्याप्त

मात्रा में चल एवं अचल संपत्ति है प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता नहीं है। अतः अभियुक्त को जमानत पर निर्मुक्त किया जाय।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रा० पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि आवेदक/ अभियुक्त द्वारा विद्युत लाइन विच्छेदित करने पर बिना बिद्युत बिल जमा किये बिना अवैध रूप से बिद्युत का उपभोग करते हुए पाया गया। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रा० पत्र निरस्त किया जाये।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले में आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्युत लाइन विच्छेदित करने पर बिना बिद्युत बिल जमा किये बिना अवैध रूप से बिद्युत चोरी करने का आरोप है जब कि अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि वह निर्दोष है उसे फर्जी फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/ अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राकेस कुमार श्रीवास्तव** द्वारा मु० तीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर उसे जमानत पर मुक्त किया जाये।

दिनांकः१७.१०.२०२२

(मोनिका ठाकुर)
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट/
अपर जनपद न्यायाधीश प्रतापगढ़

Digitally signed by Monica Thakur
Date: 2022.10.18 10:50:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court